


दाफा सं. 10 दिनांक 23/01/19 हीरालाल vs विजयसिंह

2245/19 वकील उक्रम पक्ष उप.वादी गण की ओर से एक  
प्रार्थनापत्र इस आशय का पेश किया है कि एक  
वाद को स्वेच्छा से छोड़ चलाना नहीं चाहते हैं वाद को  
विद्वान् करने की अनुमति चाही गई है वादी संख्या 1 स्वयं  
उपस्थित मम डडवोकेट पदमसिंह गुर्जर विद्वान् करने हेतु  
निवेदन किया गया है अतः वाद वादीगण का विद्वान् प्रार्थना  
पत्र स्वीकार किया जाता है। विद्वान् प्रार्थनापत्र स्वीकार किया  
जाने के फलस्वरूप वादीगण का वाद खारिज किया जाता  
है प्रकरण फेसल मुद्रा होकर पतावली नम्बर में का हो  
तथा वाद तकमिल प्रविष्ट लेख भंडा (है)

हीरालाल  
का  
पक्ष

  
सहायक कलेक्टर  
दौसा

